कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

//संशोधित आदेश//

क्रमांक/3753/स्थापना/2019 जांजगीर, दिनांक : 02/03/2019

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर–चाम्पा के पत्र क्र./15649/स्थापना/2019 जांजगीर, दिनांक 27.09.2016 के द्वारा छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक एफ–2–38/सात–2/2016 नया रायपुर दिनांक 08.09.2016 के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अंतर्गत (जिला प्रशासन हेतु) जिला जांजगीर–चाम्पा के 54 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में मेरिट/कौशल परीक्षा प्राप्तांक एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/चौकीदार/फर्राश/प्रोसेस सर्वर) के पद पर छ.ग. वेतनमान 4750–7470 ग्रेड पे 1300 संशोधित छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017, वेतन मैट्रिक्स लेबल– 1 तथा समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर निम्न शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्त कर पदस्थ किया गया है।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कंमाक 3422/स्थापना/2019 जॉजगीर दिनांक 26.02.2019 में अभ्यर्थी 01 श्री बलवंत सूर्यवंशी, 02 ललित कुमार कुर्रे, 03 श्री मुरलीधर धृतलहरे, 04 श्री राजेन्द्र कुमार भारद्वाज के दस्तावेजो के परीक्षण उपरांत पॉचवी के प्राप्ताकों में पायी गई त्रुटि के कारण उक्त अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश इस कार्यालय के आदेश कमशः कंमाक 3745/स्थापना/2019 जॉजगीर दिनांक 02.03.2019 , कंमाक 3747/स्थापना/2019 जॉजगीर दिनांक 02.03.2019, कंमाक 3749/स्थापना/2019 जॉजगीर दिनांक 02.03.2019,कंमाक 3751/स्थापना/2019 जॉजगीर दिनांक 02.03.2019, के द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

उक्त अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरियता कम के अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश/पदस्थापना आदेश निम्नानुसार जारी किया जाता है :–

अनारक्षित मुक्त

क्र	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	वर्ग	पद	पदस्थापना स्थान	रिमार्क
1	श्री रोशन कुमार	श्री हरिशचंद्र	पुरूष	सामान्य	भृत्य	तहसील कार्यालय पामगढ	

अनारक्षित मुक्त

1	सूरज कुमार	गुजूराम	पुरूष	अ पि व	चौकीदार	तहसील कार्यालय जॉजगीर	

अनुसूचित जाति मुक्त

1	श्री छबीलाल	श्री संतराम	पुरूष	अ जा	चौकीदार	तहसील कार्यालय मालखरौदा	

अनारक्षित मुक्त

1	अंकिता राठौर	श्री विनोद कुमार राठौर	महिला	अ पि व	प्रोसेस सर्वर	तहसील कार्यालय पामगढ	

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार है :–

1 यह नियुक्ति पूर्णतः प्राविधिक है। जांच के किसी भी प्रकिया में यदि पाया जाता है कि संबंधित नियुक्त व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नही रखता है, अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया गया है, तो कभी भी बिना कारण बताये नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

2 छत्तीसगढ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

//2//

Scanned by CamScanner

3 संबंधित कर्मचारी की सेवाएं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगीं तथा इस मध्य कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा से पृथक करने पर विचार किया जा सकता है। सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

4 प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

5 संबंधित अभ्यर्थियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) सेवा में पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में उपस्थिति मान्य नही किया जायेगा।

6 इस कार्यालय में आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देवें, तत्समय अभ्यर्थी को निम्नांकित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

(1) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु के साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र अथवा अंक सूची।
(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र। (विकलांग श्रेणी अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र)
(4) छ.ग. का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
(5) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं अन्य प्रमाण पत्र।
(6) भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। । (भूतपूर्व सैनिक श्रेणी अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र)
(7) वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी त्याग पत्र की स्वीकृति एवं प्रभार मुक्ति पत्र (वर्तमान में सेवारत अभ्यर्थियों हेतु मात्र)

7 पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण पत्र में यदि अपराधिक गतिविधियां पाई जाती है तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

8 आरक्षित प्रवर्ग-(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।

9 सेवा अवधि के दौरान किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे और न ही किसी राजनैतिक कियाकलाप में भाग लेंगे।

10 उक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता जारी नियुक्ति आदेश के कम में रहेगी।

11 नवनियुक्त शासकीय सेवक हेतु शासन के आदेशानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

12 उक्त कर्मचारी का कार्य तथा आचरण प्रतिकुल पाये जाने पर अथवा तत्संबधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्त आदेश निरस्त किया जा सकेगा। राजस्व विभाग अथवा किसी अन्य विभाग के द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त या ब्लैक लिस्ट किया हुआ आवेदक की नियुक्ति आरोपों की पुष्टि होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त कर दी जावेगी।

13 चयनित कर्मचारी के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने परअथवा कार्यालय द्वारा पुनः परीक्षण के दौरान आवेदन पत्रो के साथ प्रस्तुत दस्तावेज,प्रमाण पत्र जिसके आधार पर नियुक्ति की जा रही है,जैसे की शैक्षणिक योग्यता,जाति प्रमाण पत्र ,विकलांगता,अनुभव प्रमाण पत्र आदि कभी भी असत्य अथवा फर्जी पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति आदेश निरस्त कर संबधित कर्मचारी के विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, साथ ही दोषी के विरूद्व आरक्षी केंद्रो में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।

14 यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) कमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

कलेक्टर,
जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Scanned by CamScanner